न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 71/2020

1 भैरू उम्र 92 वर्ष पुत्र भूरा जाति माली निवासी ढ़ाणी ढ़ायवाली तन लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मांगू पुत्र भूराराम।
2 धापली पत्नी रामधन।
3 बंशी पुत्र रामधन।
4 प्रभात पुत्र रामधन समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी ढ़ायवाली तन ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2002 मुकदमा नम्बर 418/2002 बउनवानी मांगू बनाम भैरू आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 15.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 418/2002 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2002 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 ने विचारण न्यायालय में एक वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीएक्ट का इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 1317 रकबा 1.34 हैक्टेयर तन ग्राम लिसाड़िया सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1530 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1531 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1533 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1535 रकबा 2.21 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.13 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 04/रेस्पोडेंट संख्या 02 ता 04 के पिता व पति एवं प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट की शामलाती कब्जे काश्त व अधिकार की भूमि होकर ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 एक ही परिवार के है जिनका संयुक्त हिन्दु परिवार था तथा प्रथम सैटलमेन्ट के समय प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट परिवार में बड़ा होने से परिवार का मुखिया व कर्ता था इसलिए वरवक्त सैटलमेन्ट विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हो गयी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज भूमि में वादी को 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 को 1/3 हिस्सा के खातेदार हो चुके है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार उद्घोषित किए जाने की सहायता चाही। जिस वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादी/रेस्पोडेंट के विरूद्व काउन्टर वाद पेश किया एवं अपीलांट की ओर से दिनांक 21.06.2000 को राजीनामा पेश करवाया गया। जिस बाबत अपीलांट वृद्वावस्था में होने से अपीलांट को कोई जानकारी नही। इसलिए अपीलांट स्वयं हाजिर हुआ या अपीलांट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ा किया गया। इस बाबत अपीलांट अपने अंगुठा निशानी की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच करवाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। वादी/रेस्पोडेंट ने दिनांक 18.07.2000 को प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के विरूद्व वाद विड्रा का प्रार्थना पत्र पेश किया जो उसी दिन स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात वाद पत्र में शहादत प्रस्तुत की गयी व दिनांक 03.10.2002 में बहस सुनी गयी व निर्णय हेतु दिनांक 16.10.2002, 23.10.2002,03.10.2002,13.11.2002 नियत की गयी व दिनांक 16.12.2002 को निर्णय पारित किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे विवादित भूमि पैतृक होना साबित हो एवं कर्ता खानदान के रूप में अकेले के रूप में साबित हो। विचारण न्यायालय में वादी भैरू उपस्थित नही रहा है। वादी की उपस्थिति के अभाव में दस्तावेज प्रदर्श नही हो सकते है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय मे सभी पक्षकारो ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर 1/3,1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित की है। दौराने अपील भी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे वाद वादी खण्डित होता हो। विचारण न्यायालय में राजीनामे की पुश्त पर भैरू के अंगुठा निशानी है। राजीनामा उपखण्ड अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया है। विधि अनुसार राजीनामे से पारित डिक्री की अपील पोषणीय नही है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
यदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय मे सभी पक्षकारो ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर 1/3,1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित की है। दौराने अपील भी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे वाद वादी खण्डित होता हो। विचारण न्यायालय में राजीनामे की पुश्त पर भैरू के अंगुठा निशानी है। राजीनामा उपखण्ड अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया है। विधि अनुसार राजीनामे से पारित डिक्री की अपील पोषणीय नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15-11-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

ह०

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन [illegible] स्वीकार किया जाकर इस निर्णय की पालना दिनांक 1-12-21 तक पालना स्थगित की जाती है

ह०